न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 74/2020
अन्तर्गत धारा 251 ए RT Act

अनवान :–
प्रार्थीगण :–

1. निम्बाराम गोदपुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी बावड़ीकला, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. आदूराम डेलू पुत्र सिमरथाराम डेलू जाति जाट निवासी बिसारणिया तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार चौहटन

वकील प्रार्थीगण – श्री हुकमसिंह गोदारा
वकील विप्रार्थीगण – एकतरफा

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

–:: निर्णय ::–

दिनांक 11.11.2025

प्रार्थी निम्बाराम गोदपुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी बावडीकला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी/संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत मौजा बावड़ीकला, पटवार हल्का, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर में खसरा नं. 455 रकबा 52.12 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थी का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है तथा रहवासी ढाणियां, टांके व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थी की उक्त जोत एवं ढाणियों पर आने जाने के लिए विप्रार्थी सं. 1 के खातेदारी खेत खसरा सं. 456 रकबा 11.04 बीघा में से चलकर सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता है। प्रार्थी अपनी जोत एवं ढाणियों पर आने जाने से बाधित होते है। रास्ते का लेकर भारी विरोध होता है। प्रार्थी को विप्रार्थी के खसरा सं. 456 में [illegible] चाहा गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज [illegible] विप्रार्थी को जरिये नोटिस/रजि. नोटिस तलब किया गया। पर्याप्त समय बावजूद विप्रार्थी सं. 1 अनुपस्थित रहा। इनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.31 15:05:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में चाहे गये रास्ते के संबंध मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार चौहटन लिखा गया।

तहसीलदार चौहटन के पत्रांकः भू.अ./2024/1045 दिनांक 17.06.2025 द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई उपयुक्त एवं कम दूरी का विकल्प मौजूद नही है जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है वो न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	456	1.8130	बा.सो.	25 फीट	0.1196	बावड़ी कला	विप्रार्थी आदूराम पुत्र सिमरथाराम

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में अनुसार प्रार्थी को उपरोक्त खसरान के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह आंशिक नक्शा में बरंग गुलाबी से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई निर्माण व कीमती पेड़ नही है।

राजस्थान का तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) () में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति की राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई पेड़ पौधे इत्यादि प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर राशि देय होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.31 15:05:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों)/विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थी द्वारा देय होगी और प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण /प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल 25 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अभिन्न अंग रहेगा। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :--

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में बरंग गुलाबी दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.31 15:05:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 25 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थीगण को उक्त 25 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 25 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा में बरंग गुलाबी दिए जाने का आदेश आज दिनांक 11.11.2025 को दिया जाता है। नियमानुसार निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranchhod Lal
Date: 2025.12.31 15:05:50 IST
Reason: SelfAttested